निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 फाल्गुन 1935 (शo)

(सं0 पटना 259) पटना, शुक्रवार, 7 मार्च 2014

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

21 फरवरी 2014

सं0 वि०स०वि०-06/2014-700/वि०स०—''बिहार राज्य लोक अभिलेख विधेयक, 2014'', जो बिहार विधान-सभा में दिनांक 21 फरवरी, 2014 को पुर:स्थापित हुआ था, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-116 के अन्तर्गत उद्देश्य और हेतु सहित प्रकाशित किया जाता है ।

अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

फूल झा,

प्रभारी सचिव ।

बिहार राज्य लोक अभिलेख विधेयक, *2014*

[वि०स०वि०-03/2014]

प्रस्तावना।- राज्य सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा गठित लोक उपक्रमों, कानूनी निकायों और निगमों, आयोगों और समितियों के लोक अभिलेखों के प्रबंधन, प्रशासन और परिरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों का विनियमन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ** ।- (1) यह अधिनियम बिहार राज्य लोक अभिलेख अधिनियम, 2014 कहा जा सकेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत होगा जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे।

2. **परिभाषाएँ** ।- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -

(क) "**बोर्ड**" से अभिप्रेत है धारा-13 की उप-धारा (1) के अधीन गठित अभिलेखागार सलाहकार बोर्ड।

(ख) "**निदेशक**" से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा नियुक्त अभिलेखागार निदेशक और उसमें निदेशक के कर्त्तव्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी शामिल है;

(ग) "**राज्य अभिलेखागार**" से अभिप्रेत है, राज्य के लिए गठित बिहार राज्य अभिलेखागार एवं उसके नियंत्रण के अधीन अन्य अभिलेखागार;

(घ) "**प्रमंडलीय अभिलेखागार**" से अभिप्रेत हैं सभी प्रमंडलीय अभिलेखागार;

(ङ०) "**जिला अभिलेखागार**" से अभिप्रेत है राज्य के सभी जिलों के अभिलेखागार जो सरकारी या निजी हो;

(च) "**राज्य**" से अभिप्रेत है बिहार राज्य;

(छ) "**विहित**" से अभिप्रेत है इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विहित नियम।

(ज) "**लोक अभिलेख**" के अंतर्गत शामिल हैं, किसी अभिलेख सर्जक अभिकरण के या ऐतिहासिक महत्त्व के;

(i) दस्तावेज, पांडुलिपि और संचिका (फाईल);

(ii) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिश और अनुलिपि प्रति;

(iii) ऐसी माइक्रोफिल्मों में सन्निविष्ट प्रतिविम्ब या प्रतिविम्बों का कोई प्रत्युत्पादन (चाहे विवर्धित हो या नहीं), और

(iv) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री यथा कम्प्यूटर टेप, फ्लॉपी, सी०डी०, सॉफ्टवेयर इत्यादि;

(झ) "**अभिलेख सृजक अभिकरण**" में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) राज्य सरकार का कोई विभाग या कार्यालय;

(ii) राज्य सरकार द्वारा पूर्णत: या सारत: नियंत्रित या वित्त पोषित कोई कानूनी निकाय या निगम अथवा राज्य सरकार द्वारा गठित आयोग या किसी समिति के संबंध में उक्त निकाय, निगम, आयोग, या समिति के कार्यालय या राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित या पूर्णत: या सारत: वित्त संपोषित कोई संस्था;

(ट) "**कार्यालय**" से अभिप्रेत है राज्य सरकार के सभी कार्यालय एवं सरकार द्वारा गठित निगम कार्यालय;

(ठ) "**अभिलेख अधिकारी**" से अभिप्रेत है धारा-5 की उप-धारा (1) के अधीन अभिलेख सृजक अभिकरण द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी।

3. **राज्य सरकार की शक्ति** ।- (1) राज्य सरकार को, इस अधिनियम के अधीन लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंधन, परिरक्षण, चयन, व्ययन और निवृत्ति से संबंधित संक्रियाओं का समन्वय, विनियमन और पर्यवेक्षण करने की शक्ति होगी।

(2) राज्य सरकार, धारा-2 के खंड (झ) के उपखंड (i) एवं उपखंड (ii) में विनिर्दिष्ट अभिलेख सृजक अभिकरणों के लोक अभिलेखों के संबंध में, आदेश द्वारा उन शर्तों के अधीन रहते हुए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, निम्नलिखित सभी या किसी कृत्य को करने के लिए निदेशक को प्राधिकृत कर सकेगी, यथा :-

(क) अभिलेखागार का पर्यवेक्षण, प्रबंधन और नियंत्रण;

(ख) ऐसी अवधि के पश्चात् जो विहित की जाए, स्थायी प्रकृति के लोक अभिलेखों की जमा के लिए स्वीकारना;

(ग) लोक अभिलेखों की अभिरक्षा, उनका उपयोग और वापसी;

(घ) लोक अभिलेखों की व्यवस्था, परिरक्षण और प्रदर्शन;

(ङ) लोक अभिलेखों की तालिकाएँ, अनुक्रमणिकाएँ, सूची और अन्य संदर्भ-माध्यम की तैयारी;

(च) अभिलेख प्रबंधन पद्धति के सुधार के लिए स्तरमानो, मापदंडों, प्रक्रियाओं और तकनीकी का विश्लेषण, विकास, संवर्धन और समन्वय;

(छ) अभिलेखागार और अभिलेख सृजक अभिकरण के कार्यालयों में लोक अभिलेखों का अनुरक्षण, व्यवस्था और सुरक्षा सुनिश्चित करना;

(ज) लोक अभिलेखों के परिरक्षण के लिए उपलब्ध स्थान के उपयोग का संवर्धन करना और उपस्करों का अनुरक्षण करना;

(झ) अभिलेखों के संकलन, वर्गीकरण और व्ययन की बाबत और अभिलेख प्रबंध के स्तरमानों, प्रक्रियाओं और तकनीकी के उपयोजन के संबंध में अभिलेख सृजक अभिकरणों को सलाह देना;

(ञ) लोक अभिलेखों का सर्वेक्षण और निरीक्षण करना;

(ट) अभिलेखागार प्रशासन और अभिलेख प्रबंध की विभिन्न शाखाओं में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना;

(ठ) किसी प्राइवेट स्रोत से अभिलेख स्वीकार करना;

(ड) लोक अभिलेखों तक पहुँच विनियमित करना;

(ढ़) निष्क्रिय निकायों से अभिलेख प्राप्त करना और राष्ट्रीय आपात की दशा में लोक अभिलेख प्राप्त करने की व्यवस्था करना;

(ण) अभिलेख अधिकारी से अभिलेख प्रबंधन और व्ययन पद्धति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त करना;

(त) लोक अभिलेखों की अधिप्रमाणित प्रतियाँ या उनसे उद्धरण उपलब्ध कराना;

(थ) लोक अभिलेखों को नष्ट करना या उनका व्ययन करना;

(द) ऐतिहासिक, राष्ट्रीय या राजकीय महत्व के किसी दस्तावेज को पट्टे पर प्राप्त करना अथवा उसे क्रय करना या दान के रूप में स्वीकार करना;

4. **राज्य के बाहर लोक अभिलेखों को ले जाया जाना** ।- कोई भी व्यक्ति, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना कोई लोक अभिलेख न तो राज्य के बाहर ले जाएगा और न ले जाने की अनुज्ञा देगा:

परन्तु यदि कोई लोक अभिलेख किसी शासकीय प्रयोजन के लिए राज्य के बाहर ले जाया जाता है या भेजा जाता है तो ऐसा पूर्व अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा।

5. **अभिलेख अधिकारी नाम- निर्देशन** ।- (1) प्रत्येक अभिलेख सृजक अभिकरण, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का निर्वहन करने के लिए, अपने किसी अधिकारी को अभिलेख अधिकारी के रूप में नाम निर्देशित करेगा।

(2) प्रत्येक अभिलेख सृजक अभिकरण ऐसी संस्था में और ऐसे स्थानों में, जिसे वह उचित समझे, अभिलेख कक्षों की स्थापना कर सकेगा और प्रत्येक अभिलेख कक्ष को किसी अभिलेख अधिकारी के प्रभार के अधीन रखेगा।

6. **अभिलेख अधिकारी का कर्त्तव्य एवं दायित्व** ।- (1) अभिलेख अधिकारी निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होगा:-

(क) अपने प्रभार के अधीन के लोक अभिलेखों की उचित व्यवस्था, अनुरक्षण और परिरक्षण;

(ख) सभी लोक अभिलेखों का नियत कालिक पुनर्विलोकन और अल्पकालिक महत्व के लोक अभिलेखों की छँटाई;

(ग) स्थायी महत्व के लोक अभिलेखों को प्रतिधारित करने की दृष्टि से पच्चीस वर्ष से अधिक पुराने लोक अभिलेखों को राज्य अभिलेखागार बिहार से परामर्श करके आँकना;

(घ) लोक अभिलेखों को, ऐसी रीति से और ऐसी शर्त्तो के अधीन रहते हुए, नष्ट करना, जो धारा-8 की उप-धारा (1) के अधीन विहित की जाए;

(ङ॰) लोक अभिलेखों के लिए यथास्थिति, बिहार के राज्य अभिलेखागार या क्षेत्रीय अभिलेखागार, जिला अभिलेखागार से परामर्श करके, प्रतिधारण अनुसूची का संकलन;

(च) वर्गीकृत लोक अभिलेखों की श्रेणी कम करने के लिए, ऐसी रीति से जो विहित की जाय उनका नियत कालिक पुनर्विलोकन;

(छ) अभिलेख प्रबंध पद्धति में सुधार के लिए और लोक अभिलेखों की सुरक्षा बनाए रखने के लिए ऐसे स्तरमानों, प्रक्रियाओं और तकनीकों, को जिनकी भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार द्वारा, समय-समय पर, अनुशंसा की जाय अपनाना;

(ज) लोक अभिलेखों की वार्षिक अनुक्रमणिकाओं के संकलन;

(झ) संगठनात्मक इतिवृत और उसके वार्षिक अनुपूरक के संकलन;

(ञ) लोक अभिलेख प्रबंधन के लिए, यथास्थिति राज्य अभिलेखागार या क्षेत्रीय अभिलेखागार, जिला अभिलेखागार को सहायता प्रदान करने;

(ट) यथास्थिति, निदेशक या अभिलेखागार प्रधान को वार्षिक रिपोर्ट ऐसी रीति से जो विहित की जाय, प्रस्तुत करने;

(ठ) किसी निष्क्रिय निकाय के अभिलेखों का, यथास्थिति राज्य अभिलेखागार या प्रमंडलीय अभिलेखागार या जिला अभिलेखागार को परिरक्षण के लिए अन्तरण करने;

(2) अभिलेख अधिकारी, उप-धारा (1) में विनिर्दिष्ट उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने की दशा में, यथास्थिति निदेशक या अभिलेखागार के प्रधान के निदेशानुसार कार्य करेगा।

7. **अभिलेख अधिकारी का कर्त्तव्य** ।- (1) अभिलेख अधिकारी, अपने प्रभार के अधीन में किन्हीं लोक अभिलेखों के अनधिकृत हटाए जाने, नष्ट किये जाने, विरूपित किए जाने या परिवर्तित किए जाने की दशा में, ऐसे लोक अभिलेखों को बरामद करने या पुनः प्राप्त करने के लिए तुरन्त समुचित कार्रवाई करेगा।

(2) अभिलेख अधिकारी अपने प्रभार के अधीन लोक अभिलेखों के अनधिकृत हटाये जाने, नष्ट किये जाने, विरूपित किये जाने या परिवर्तित किये जाने तथा यथास्थिति निदेशक या अभिलेखागार के प्रधान द्वारा दिये गये निदेशों के अध्यधीन यदि कोई हो, अपने द्वारा आरंभ की गई कार्रवाई जिसे स्थिति के अनुसार वह आवश्यक समझे के संबंध में कोई जानकारी कोई विलम्ब किये बिना, यथास्थिति, निदेशक या अभिलेखागार के प्रधान को लिखित रिपोर्ट सुपूर्द करेगा।

(3) अभिलेख अधिकारी, लोक अभिलेखों को बरामद करने या पुनः प्राप्त करने के प्रयोजन के लिए किसी सरकारी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति की सहायता प्राप्त कर सकेगा और ऐसा अधिकारी या व्यक्ति ऐसे अभिलेख अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा।

8. **लोक अभिलेखों का निपटारा** ।- (1) तत्समय प्रवृत किसी विधि में अन्यथा उपबंधित, के सिवाय, कोई भी लोक अभिलेख, उस रीति के सिवाय और उन शर्तो के अध्यधीन जो विहित की जाए नष्ट नहीं किया जाएगा या उसका अन्यथा व्ययन नहीं किया जाएगा।

(2) वर्ष 2014 के पूर्व सृजित किसी भी अभिलेख को, जहाँ यथास्थिति, निदेशक या अभिलेखागार के प्रधान एवं पुराभिलेखपाल की राय में, वह इस प्रकार विरूपित हो गया हो या ऐसी दशा में हो कि उसे किसी अभिलेखागार संबंधी उपयोग में नहीं लाया जा सकता हो के सिवाय नष्ट नहीं किया जायेगा किन्तु ऐसे विनिश्चय पर तीनों व्यक्तियों का हस्ताक्षर आवश्यक होगा।

9. **मुकदमा दायर करने की शक्ति एवं सजा** ।- (1) अभिलेख पदाधिकारी, निदेशक की पूर्व अनुमति से, मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के समक्ष यथाशीघ्र मुकदमा दायर कर सकेगा।

(2) जो कोई उस अधिनियम की धारा-4 या धारा-8 के उपबंधों में से किसी का उल्लंघन करेगा, वह उस अवधि के लिए कारावास से, जो पांच वर्ष तक बढ़ायी जा सकेगी, या उस जुर्माने से, जो दस हजार रूपये तक बढ़ाया जा सकेगा, या दोनो से दंडनीय होगा।

10. **लोक अभिलेखों का अंतरण न होना** ।- सुरक्षा वर्गीकरण वाले किसी लोक अभिलेख का अंतरण राज्य अभिलेखागार या प्रमंडलीय अभिलेखागार या जिला अभिलेखागार में नहीं होगा।

परंतु सरकार ऐसे वर्गीकृत अभिलेखों को उनके सृजन के 30 वर्षों की अवधि के उपरांत सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा इसे अवर्गीकृत कर सकेगी। इस प्रकार अवर्गीकृत किये गए अभिलेख अधिनियम के उपबंधों के अधीन अभिलेखागारों में अन्तरित किये जा सकेंगे। मुख्यमंत्री सचिवालय, मुख्य सचिव कार्यालय, राज्यपाल सचिवालय, गृह विभाग एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय, जिसे राज्य सरकार निश्चित करे, इस श्रेणी में शामिल होंगे।

11. **लोक अभिलेख प्राप्त एवं उपलब्ध कराना** ।- (1) राज्य अभिलेखागार या प्रमंडलीय अभिलेखागार या जिला अभिलेखागार ऐतिहासिक, राष्ट्रीय महत्व या राजकीय महत्व के किसी अभिलेख को किसी प्राईवेट स्रोत से दान के रूप में, क्रय द्वारा या अन्यथा स्वीकार कर सकेगा।

(2) राज्य अभिलेखागार उप-धारा (1) में निर्दिष्ट कोई लोक अभिलेख, ऐसी रीति से और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाय, वास्तविक अनुसंधानविद् को उपलब्ध करा सकेगा। ऐसा अनुसंधानविद् ऐसे अभिलेख को अभिलेखागार में अध्ययन कर उसी दिन वापस कर देगा।

12. **लोक अभिलेखों तक पहुँच** ।-(1) ऐसे सभी अवर्गीकृत लोक अभिलेख, जो तीस वर्ष से अधिक पुराने हो और जो राज्य अभिलेखागार, या किसी प्रमंडलीय या जिला अभिलेखागार को अंतरण कर दिये गये हैं। ऐसे अपवादों और निर्वधनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जायें, अनुसंधानविद् को उपलब्ध कराये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण ।- इस उप-धारा के प्रयोजनों के लिए तीस वर्ष की अवधि की गणना, लोक अभिलेख प्रारंभ करने के वर्ष से की जाएगी।

(2) कोई भी अभिलेख सृजक अभिकरण, अपनी अभिरक्षा में किसी लोक अभिलेख तक किसी व्यक्ति की पहुंच ऐसी रीति से और ऐसी शर्तो के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाय, होने देगा।

13. **अभिलेख सलाहकार बोर्ड का गठन** ।- (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक **अभिलेख सलाहकार बोर्ड** का गठन कर सकेगी।

(2) बोर्ड निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर गठित होगा, यथा:-

(क) सदस्य, राजस्व पर्षद - पदेन अध्यक्ष

(ख) मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग, पर्यटन विभाग तथा शिक्षा विभाग से प्रत्येक का एक-एक अधिकारी, जो बिहार सरकार के सचिव से अन्यून पंक्ति का हो - पदेन सदस्य

(ग) राज्य सरकार द्वारा तीन वर्षो या अधिक अवधि के लिए नाम निर्देशित किए जाने वाले तीन व्यक्ति, जिनमें एक अभिलेख पदाधिकारी (पुराभिलेखपाल) हो और दो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग अथवा प्राचीन इतिहास एवं संस्कृति विभाग के स्नातकोत्तर विभाग के प्राध्यापक एवं अध्यक्ष - पदेन सदस्य

(घ) निदेशक, अभिलेखागार - पदेन सदस्य सचिव

(ङ॰) बिहार विधान परिषद् एवं विधान सभा का, विषय में रूचि रखने वाले सभापति एवं अध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक-एक सदस्य।

(3) बोर्ड किसी विशेषज्ञ को भी बैठकों में आमंत्रित कर सकेगा।

14. **बोर्ड के कृत्य** ।- बोर्ड निम्नलिखित कृत्यों का पालन करेगा:-

(क) लोक अभिलेखों के प्रशासन, प्रबंधन, परिरक्षण और उपयोग से संबंधित विषयों पर राज्य सरकार, प्रमंडलीय, जिला प्रशासनों को सलाह देना;

(ख) पुराभिलेखपालों के प्रशिक्षण से संबंधित मार्गदर्शक सिद्धांत अधिकथित करना;

(ग) प्राईवेट अभिरक्षा से अभिलेखों के अर्जन के लिए निदेश देना;

(घ) ऐसे अन्य विषयों को निपटाना जो विहित किये जाय।

15. **अभिलेखागार विज्ञान आदि के पाठ्यक्रम विनिश्चित करने की राज्य सरकार की शक्ति**।- अभिलेखागार संबंधी विज्ञान और अन्य आनुषंगिक विषयों में प्रशिक्षण से संबंधित पाठ योजना, पाठ्य-चर्या निर्धारण और परीक्षाओं के लिए मानक और स्तरमान अभिकथित करने की शक्ति राज्य सरकार को होगी।

16. **वादों का वर्जन** ।- इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियाँ किसी व्यक्ति के विरूद्ध आरंभ नहीं की जायगी।

17. **नियम बनाने की शक्ति** ।-(1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियमावली बना सकेगी।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक अनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाए, तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाए कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभावी हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उद्देश्य एवं हेतु

भारतीय संसद द्वारा केन्द्रीय सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या उनके द्वारा गठित लोक उपक्रमों, कानूनी निकायों और निगमों, आयोगों और समितियों के लोक अभिलेखों के प्रबंधन, प्रशासन एवं परिरक्षण तथा उनसे संबंधित या उनके आनुषंगिक विषयों के विनियमन के लिए वर्ष 1993 में लोक अभिलेख अधिनियम पारित किया गया था।

भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख आयोग के 1997 में आयोजित 56वें अधिवेशन में भी यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि राज्य सरकारों द्वारा एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत लोक अभिलेख अधिनियम के सदृश्य अधिनियम राज्यों में लागू किया जाय। भारत सरकार द्वारा भी लोक अभिलेखों के प्रबंधन एवं परिरक्षण के लिए अधिनियम लागू करने का अनुरोध राज्य सरकारों से किया जाता रहा है। तदनुसार अनेक राज्य सरकारों द्वारा लोक अभिलेख अधिनियम लागू किया जा चुका है। इसके अलावा समुचित कानूनी प्रावधान के अभाव में महत्वपूर्ण अभिलेखों के प्रबंधन एवं परिरक्षण में कठिनाई होती है। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के लागू होने के आलोक में भी लोक अभिलेखों का समुचित प्रबंधन एवं परिरक्षण आवश्यक है। उक्त आलोक में बिहार राज्य में भी लोक अभिलेख अधिनियम के गठन की आवश्यकता है।

अत: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, राज्य कार्यालयों, लोक उपक्रमों एवं निकायों आदि में समुचित ढ़ंग से अभिलेख प्रबंधन एवं परिरक्षण हेतु बिहार राज्य लोक अभिलेख विधेयक गठित करने का प्रस्ताव है। इसे अधिनियमित कराना ही इसका मुख्य उद्देश्य है।

(नीतीश कुमार)
भार साधक सदस्य

पटना,
दिनांक 21.02.2014

प्रभारी सचिव,
बिहार विधान-सभा ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 259-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in